परिशिष्ट [2019] "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 2098]

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail, modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 2657/खनिज/2019 सतना,दिनांक 18/10/2019

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2217/खनिज/2017 सतना दिनांक 29.07.2017 से श्री राजधर सिंह, पिता श्री शोभनाथ सिंह, जय लक्ष्मी ट्रेडर्स, निवासी ग्राम पो0 रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना को ग्राम बेलहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना के खसरा क्रमांक 282 के अंश रकबा 3.367 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मुरूम अवधि दिनांक 26.08.2017 से 25.08.2027 तक 10 वर्ष हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था। उत्खनिपट्टा के संबंध में आवेदक के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति, जलवायु सम्मति, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर भू-प्रवेश की अनुमति न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा प्रदाय की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रघुराजनगर के प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2019 में यह लेख किया गया है कि आवेदक राजधर सिंह निवासी रामस्थान को ग्राम बेलहटा की आराजी नम्बर 282 का अंश रकबा 3.367 हेक्टेयर मुरूम उत्खनन हेतु लीज स्वीकृत है। लीज हेतु मौके पर जो स्थल चिन्हांकित किया गया है, वह जांच उपरान्त आराजी नं. 322 के अंतर्गत आता है। आ0नं0 322 रकबा 2.768 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है। आवेदक को स्वीकृत मुरूम उत्खनन लीज में आराजी नम्बर 282 रकबा 3.367 हेक्टेयर के स्थान पर आराजी नं. 322 रकबा 2.768 हेक्टेयर संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

खनि निरीक्षक तहसील रघुराजनगर जिला सतना का प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2019 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि उत्खनिपट्टाधारी द्वारा ग्राम बेलहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना के खसरा क्रमांक 282 के अंश रकबा 3.367 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मुरूम उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु जी.पी.एस. लोकेशन पृथक क्षेत्र ग्राम बेलहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी नं. 322 में पर्यावरणीय सम्मति हेतु भ्रामक का निरीक्षण कराया गया। उत्खनिपट्टाधारी के द्वारा आराजी नं0 282 में उत्खनन न करते हुए खसरा क्रमांक 322 में खनिज मुरूम मात्रा 2320 घनमीटर का अवैध उत्खनन कराया गया। जो म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के विपरीत है।

उत्खनिपट्टाधारी श्री राजधर सिंह, को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 1992/खनिज/2019 सतना दिनांक 03.07.2019 से जारी कर उक्त अनियमितता के संबंध में जवाब दिनांक 05.08.2019 प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया, जिसमें श्री राजधर सिंह, के द्वारा दिनांक 05.08.2019 को जवाब प्रस्तुत कर यह लेख किया गया है कि उसके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया गया है, राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में गलत जानकारी दी गई थी, पटवारी तहसीलदार द्वारा स्वीकृत के पूर्व 282 के स्थान पर 322 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रघुराजनगर, व खनि निरीक्षक सतना के द्वारा किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रघुराजनगर के पत्र क्रमांक 2337 सतना दिनांक 09.09.2019 में यह लेख किया गया है कि स्वीकृत लीज में उल्लेखित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सतना (म.प्र.)

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

उल्लेखित खसरा क्रमांक व लीज क्षेत्र के स्थल में वि आदेश/भू-प्रवेश व विभिन्न जांच में जो स्थल चिन्हित है, वह खसरा क्रमांक 3.. क अंतर्गत आता है। मौके पर खसरा क्रमांक 282 में आबादी तथा समतल कृषि योग्य भूमि है। खसरा क्रमांक 322 मे पूर्व से ही मुरूम उत्खनन की गई थी, जिस पर रकबा 0.50 एकड़ में बड़ा गढ्डा है, स्वीकृत खसरा नम्बर व स्थल की स्थिति पर विचार किये जाने का लेख किया गया है।

इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रघुराजनगर जिला सतना व खनि निरीक्षक तहसील रघुराजनगर जिला सतना के उपरोक्त तथ्यों एवं जांच प्रतिवेदनों के आधार पर उत्खनिपट्टाधारी श्री राजधर सिंह, के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र ग्राम बेलहटा तहसील रघुराजनगर के खसरा क्रमांक 282 के अंश रकबा 3.367 हेक्टेयर ख़निज मुरूम अवधि 10 वर्ष हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था, किन्तु उत्खनिपट्टाधारी के द्वारा खनिज मुरूम का उत्खनन एवं परिवहन खसरा क्रमांक 322 में किया जाना पाया गया, जो कि उत्खनिपट्टा शर्तो का उल्लंघन है।

अतः म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं अनुबंध की शर्तो का पालन न किये जाने से ग्राम बेलहटा तहसील रघुराजनगर के खसरा क्रमांक 282 के अंश रकबा 3.367 हेक्टेयर खनिज मुरूम अवधि 10 वर्ष हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री राजधर सिंह, पिता श्री शोभनाथ सिंह, जय लक्ष्मी ट्रेडर्स, निवासी ग्राम पो0 रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना को आदेशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य न किया जावे।

कलेक्टर
जिला-सतना (म0प्र0)

पृष्ठा. क्रमांक 2657/खनिज/2019, सतना, दिनांक 18/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय प्रमुख, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रघुराजनगर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. खनि निरीक्षक तहसील रघुराजनगर जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्र पर किसी प्रकार का अवैध उत्खनन न हो इस संबंध में आप सतत् निगरानी रखें।
5. श्री राजधर सिंह, पिता श्री शोभनाथ सिंह, जय लक्ष्मी ट्रेडर्स, निवासी ग्राम पो0 रामस्थान, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर 18/10/19
जिला-सतना (म0प्र0)

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

परिशिष्ट – 'ब'
(3)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) जिला, सतना (म.प्र.)

E-mail modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 2153 / खनिज / 2019, सतना दिनांक 26/7/019

कारण बताओ नोटिस

प्रति,

श्री राजधर सिंह,
पिता श्री शोभनाथ सिंह,
निवासी ग्राम पो0 रामस्थान,
तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0

विषयः– ग्राम रामस्थान तहसील रघुराजनगर जिला सतना के खसरा क्रमांक 1238 / 2 के अंश रकबा 1.850 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पत्थर हेतु स्वीकृत उत्खनिपटटा के संबंध में।

---00---

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम रामस्थान तहसील रघुराजनगर जिला सतना के खसरा क्रमांक 1238 / 2 के अंश रकबा 1.850 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पत्थर अवधि दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2028 तक उत्खनिपट्ट स्वीकृत है। खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2019 में यह लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र में अनुमोदित खनन योजना अनुसार आपको 8000 घनमीटर खनिज पत्थर के उत्पादन किये जाने की पात्रता है। जिसमें आपके द्वारा निरीक्षण दिनाक तक कुल 16819 घनमीटर खनिज पत्थर का उत्खनन कर परिवहन कराया गया है, वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल उत्पादन 10325 घनमीटर किया गया है, जो कि म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के उपनियम 42 का उल्लंघन किया गया है। आपके द्वारा अनुमोदित खनन योजना मात्रा 8000 घनमीटर एवं पर्यावरणीय सहमति 8000 घनमीटर से अधिक मात्रा खनिज का उत्पादन किये जाने पर क्यों न आपके विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्ताव प्रेषित किया जाकर क्षमता से अधिक खनिज का उत्पादन किये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में उत्खनित खनिज का बाजार मूल्य वसूल किया जाकर दण्डित किया जाये।

आपके द्वारा उपरोक्त किये गये उल्लंघन के संबंध में अपना लिखित सामाधान कारक उत्तर 30 दिवस के अंदर समक्ष में प्रस्तुत करें। समयावधि में समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत न किये जाने पर उत्खनिपट्टा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)